सत्यमेव जयते

## न्यायालय

# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

## गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025 / 201 दर्ज तिथिः—22.05.2025

1. आसूदान पुत्र मुरारदान
2. कैलाशदान पुत्र आसूदान
3. जबरदान पुत्र आसूदान
4. नरपतदान पुत्र रिडमलदान
5. शक्तिदान पुत्र रिडमलदान
6. सांवलदान पुत्र आसूदान
   जाति चारण निवासी डाबड़ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

...........प्रार्थीगण

*बनाम*

1. बाबूलाल डोसी पुत्र चन्दनमल डोसी
2. मन्जूदेवी पत्नी बाबूलाल
   जाति ओसवाल (जैन) निवासी जैन मोहल्ला गुड़ामालानी
3. प्रमिला देवी पत्नी पुरूषोतम जाति जैन निवासी गुड़ामालानी
4. डालूराम पुपत्र विरधाराम जाति रबारी निवासी गुड़ामालानी
5. नर्मदा नहर जल संसाधन सिंचाई विभाग चतुर्थ खण्ड—सांचौर, तहसील सांचोर जिला जालोर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

..........अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री जगदीश विश्नोई
अप्रार्थीगणः—एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

**—:निर्णयः—**

निर्णय तिथिः—30.06.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.01 19:19:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया:–

- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1316/21.7397 है0, 1316/2/2.0234 है0 मौजा डाबड़ तहसील गुडामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है।
- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1602/2/0.1376 है0 मौजा डाबड़ तहसील गुडामालानी अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी है।
- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1601/2/0.1214 है0 मौजा डाबड़ तहसील गुडामालानी अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी आराजी है।
- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1602/1316/0.5666 है0 मौजा डाबड़ तहसील गुडामालानी अप्रार्थी संख्या 03 एवं 04 की संयुक्त खातेदारी आराजी है।
- कि आराजी खसरा संख्या 1602/1/0.2671 है0, 1601/1/0.2671 है0, 1316/1/1.0198 है0 मौजा डाबड़ तहसील गुडामालानी अप्रार्थी संख्या 05 का गै0मु0 नहर हेतु अवाप्तशुदा आराजी अवस्थित है।
- कि उपरोक्त बिन्दुओं में अंकित आराजी का मूल खसरा संख्या 1316 एक ही था।
- कि मूल खसरा संख्या 1316 में से अप्रार्थीगण द्वारा जरिये पंजीकृत बयनामा भूमि क्रय की गई थी एवं उक्त मूल खसरा संख्या 1316 में से कुछ हिस्से की भूमि नहर विभाग द्वारा अवाप्त की गई थी।
- कि उक्त क्रय की गई भूमि एवं अवाप्त की गई भूमि की तरमीम करते वक्त राजस्व कार्मिकों द्वारा प्रार्थीगण की बिना जानकारी के गलत तरमीम कर दी गई। उक्त आराजी की तरमीम मेगा हाईवे पर तो सही की गई है। परंतु उसके आगे उक्त भूमि के दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर तरमीम को गलत कर दिया। जिससे आवेदित भूमि के मौके एवं लट्ठा ट्रेस में भिन्नता आ गई।

2. असल में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर की मौके पर कब्जे के अनुसार एवं परिशिष्ट–अ के अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जावे। अतः प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार पर दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 जरिये असालनत–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस का मनन किया गया।

4. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/940 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा मौका रिपोर्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.01 19:19:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। दौरान–ए–बहस अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने पर सहमति प्रदान की। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

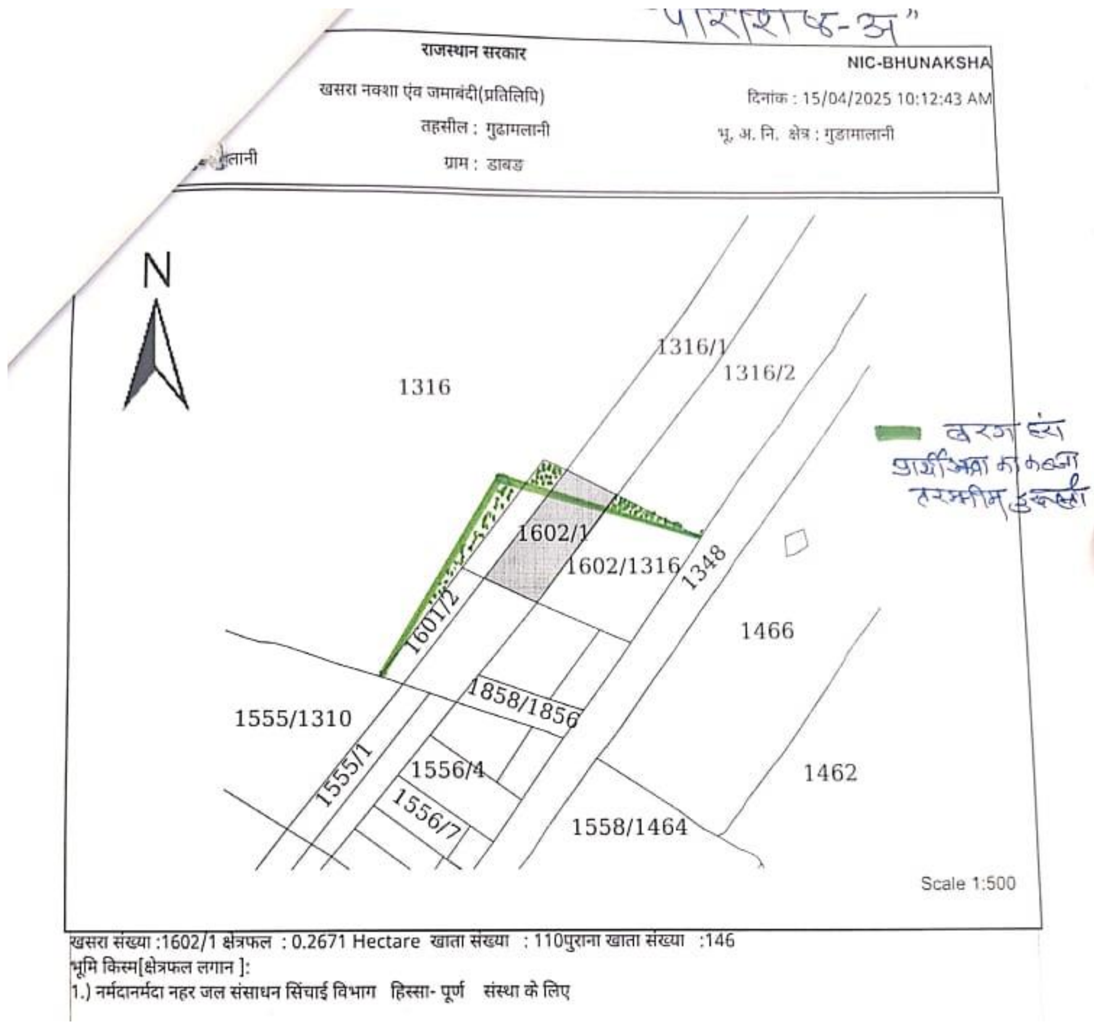


6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 940 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 940 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.01 19:19:39 IST
Reason: SelfAttested

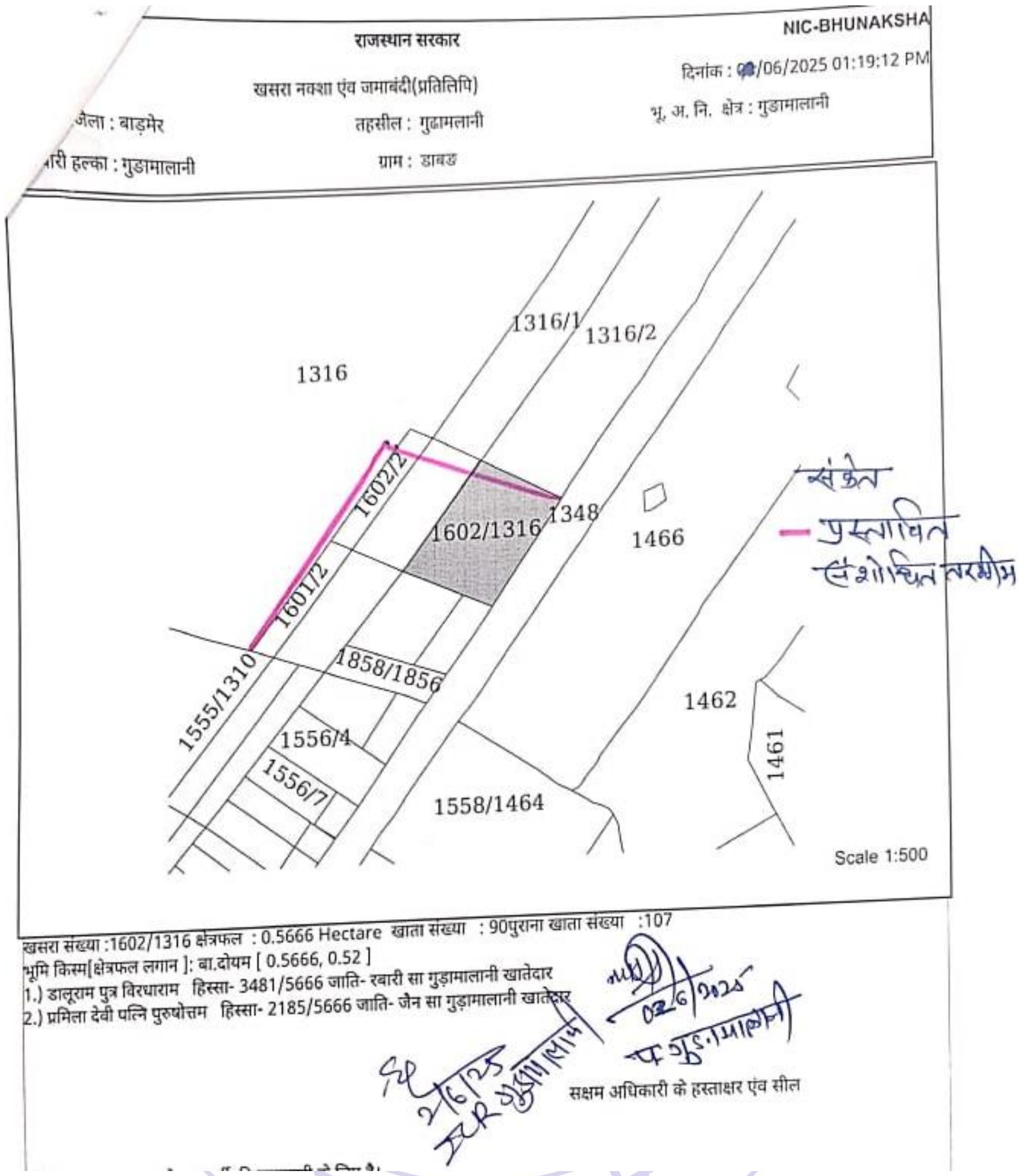


7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक／भू.अ.／2025／940 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

- कि ग्राम डाबड़ के खसरा संख्या 1316 (वर्तमान खसरा संख्या 1316／2／2.0284 है0 एवं अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1602／2／0.1376 है0, 1601／2／0.1214 है0, 1602／1316／0.5666 है0, 1602／1／0.2671 है0, 1601／1／0.2671 है0, 1316／1／1.0198 है0) की तरमीम बेचान दस्तावेज एवं भूमि अवाप्त सही अंकित नहीं की गई है।
- कि उक्त खसरा संख्या की तरमीम बेचान एवं अवाप्त हुई भूमि की तरमीम प्रार्थीगण के वर्तमान कब्जा काश्त के विपरीत अंकित की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.01 19:19:39 IST
Reason: SelfAttested

- कि उक्त खसरा संख्या की तरमीम प्रार्थीगण के वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार एवं परिशिष्ट–अ के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 940 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1316 / 21.7397 है0, 1316 / 2 / 2.0234 है0 मौजा डाबड़ तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1602 / 2 / 0.1376 है0, 1601 / 2 / 0.1214 है0, 1602 / 1316 / 0.5666 है0, 1602 / 1 / 0.2671 है0, 1601 / 1 / 0.2671 है0, 1316 / 1 / 1.0198 है0 पडोस में अवस्थित है तथा बैचान एवं नहर हेतु भूमि अवाप्ति के पश्चात् पृथक खसरे सृजित हुए हैं। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 940 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 940 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

*राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2025/940 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार नहर के रकबे को यथावत रखते हुए तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।*

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.01 19:19:39 IST
Reason: SelfAttested